प्रेषक

आयुक्त,
बरेली मण्डल,
बरेली ।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली ।

पत्रांक 2725-31/2011-12 दिनांक 07/06/11

विषयः नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक रू.वि./सम्ब./2010/4020-21 दिनांक 29.12.2010 के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2284/सत्तर-2-2009-2(166)/2002 दिनांक 29 जून 2009 में प्रतिनिधायित शक्तियों के फलस्वरूप गठित समिति की संस्तुति के क्रम में ख्वाजा गरीब नवाज (के.जी.एन.) डिग्री कॉलेज, बनकोटा, बदायूँ को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी.कॉम. एवं कला संकायान्तर्गत बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, उर्दू, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा । सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी ।
2. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान शासनदेश संख्या- 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनदेश संख्या- 3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 शासनादेश संख्या- 193/सत्तर-2- 2003-2(166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या- 585मु0मं0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 एवं शासनदेश संख्या-743मु0मं0/सत्तर- 2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगी ।
3. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मॉग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी ।
4. संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा ।
5. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थपना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
6. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी ।
7. मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ।
8. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम बनकोटा, परगना सतासी तहसील बिसौली जनपद बदायूँ के गाटा संख्या 681/2.184 है0 में से 1.000 है0 भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा । अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा । उक्त भूमि को सम्बद्धता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा ।
9. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी ।
10. निर्माण नियमानुसार (जहाँ लागू हो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा पास कराकर ही किया जायेगा ।
11. यदि कोई भी अभिलेख अथवा सूचना अनापत्ति जारी करने के पश्चात् व सम्बद्धता प्राप्ति से पूर्व गलत पाये जाते हैं या कम पाये जाते हैं तो उसका सम्पूर्ण दायित्व संस्था के प्रबन्धक/सचिव का होगा एवं जिसके कारण से यह अनापत्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

2- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(सुधीर एम0 बोबडे)
आयुक्त ।

पृष्ठांकन- पत्रांक एवं दिनांक उपर्युक्त ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
3. जिलाधिकारी, बदायूँ ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली ।
5. सचिव/प्रबन्धक, ख्वाजा गरीब नवाज (के.जी.एन.) डिग्री कॉलेज, बनकोटा, बदायूँ
6. गार्ड फाइल ।

(सुधीर एम0 बोबडे) 7/6
आयुक्त ।

संख्या-सम्ब0-633/सत्तर-2-2011-2(633)/2011

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2011

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्ब0/2011/4554-55, दिनांक 03.9.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन ख्वाजा गरीब नवाज (केजीएन) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2011 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

--2--

Yogesh Ckk.II

☎ 0581-2527363
0581-2527407
0581-2521467

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/सम्ब./2011/3151 दिनांक:- 10.10.2011

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
ख्वाजा गरीब नवाज डिग्री कालेज,
वनकटा, बदायूं

महोदय,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त पत्रांक 633/सत्तर-2-2011-2(633)/2011 दिनांक 30.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके महाविद्यालय को शासन द्वारा बी.काम. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की पूर्वानुमति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा सम्बद्धता की पूर्वानुमति की स्वीकृति के क्रम में एतद्द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

कुलसचिव

संख्या-सम्ब0-594/सत्तर-2-2012-2(594)/2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2012

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः रू0वि0/सम्ब0/एफ-2-215/2012/78395-96, दिनांक 19.9.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन ख्वाजा गरीब नवाज (के0जी0एन0) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, उर्दू, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2012 से सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त संबद्धता आदेश निर्गत करने के पूर्व महाविद्यालय से खतौनी के द्वितीय पृष्ठ/पूर्ण खतौनी की प्रति प्राप्त कर ली जायेगी :-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

--2--

Yogesh Dil.D

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/एफ–2–215/2013/ 4018–4027 — दिनांकः– 20.02.2013

सेवा मे,

प्रबन्धक,
ख्वाजा गरीब नवाज (के.जी.एन.) डिग्री कालेज,
बनकोटा, बदायूं

विषयः– संस्था ख्वाजा गरीब नवाज (के.जी.एन.) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए. पाठ्यकम में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2012–13 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.01.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें संस्था ख्वाजा गरीब नवाज (के.जी.एन.) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए–(हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, उर्दू, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र) पाठ्यकम/विषयों की सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2012–13 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उ0प्र0शासन के पत्रांक सम्ब0 594/सत्तर–2–2012–2(594)/2012 दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए–(हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, उर्दू, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र) पाठ्यकम/विषयों की सम्बद्धता दिनांक 01.07.12 से शर्तों के अधीन आगामी तीन वर्षों हेतु प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रबन्धक के अनुरोध निरीक्षण मण्डल की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति महोदय द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज (के.जी.एन.) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए–(हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, उर्दू, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र) पाठ्यकम/विषयों में कुल 07 सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) में प्रवेश की अनुमति कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में सत्र 2012–13 से आगामी तीन वर्षों हेतु दिनांक 01.07.2012 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है :–

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियिम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
6. प्रभारी समिति,
7. प्रभारी वेबसाइट

कुलसचिव

संख्या-सम्ब0-633(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।

(3) सचिव/प्रबन्धक, ख्वाजा गरीब नवाज (केजीएन) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं

(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)

अनु सचिव।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-594(1)/सत्तर-2-2012-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, ख्वाजा गरीब नवाज (के0जी0एन0) डिग्री कालेज, बनकोटा, बदायूं ।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह), उ0प्र0शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Yogesh Dik.B